अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें –

1. उच्च न्यायालय स्तर पर – मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उप समिति जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर के सचिव अथवा वहाँ के जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. जिला स्तर पर – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
3. तहसील स्तर पर – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
4. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से।

Justice for All

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर
द्वारा विज्ञापित

कानूनी साक्षरता हटाये दुर्बलता

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन
NATIONAL LEGAL LITERACY MISSION

विधिक सहायता एवं सलाह

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाषः (0761) 2678352, 2624131, फैक्सः 2678537
वेबसाइटः www.mpslsa.nic.in ईमेलः mplsajab@nic.in
Tollfree No. : 15100

विधिक सेवा योजना

विधिक सहायता / विधिक सलाह

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समाज के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जातीहै।

विधिक सेवायें कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है :–

कोई भी ऐसा व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसकी वर्ष भर की आमदनी एक लाख रूपये से ज्यादा की नहीं है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के सभी व्यक्ति, भी बिना आय सीमा के बंधन के निःशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने के अधिकारी है।

1. जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,
2. ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो, महिला या बालक हो
3. ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य है या अन्यथा असमर्थ है, या निर्योग्य है निर्योग्य का तात्पर्य हैः–

क. अंधापन

ख. कमजोर दिखाई देना

ग. जिसे कुष्ठ रोग है

घ. कम सुनाई देना

ड. जो चल फिर नहीं सकता

च. जो दिमागी रूप से बीमार हो।

4. ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे–भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है।
5. ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है,

किस तरह की विधिक सेवा मिलती है

विधिक सेवा के पात्र व्यक्ति को मामले में लगने वालीः–

1. कोर्टफीस,
2. तलवाना,
3. टाईपिंग / फोटोकापी खर्च,
4. गवाह का खर्च,
5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च,
6. निर्णय / आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च,
7. वकील फीस का भुगतान किया जाता है तथा उसे निःशुल्क विधिक सलाह भी प्रदान की जाती है।

विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों / अधिकरणों, उच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जाये?

उच्च न्यायालय / जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए कोई भी पात्र व्यक्ति क्रमशः उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति जिला न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को लिखित में एक आवेदन करेगा जिसके साथ निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र होगा। यदि आवेदक निरक्षर है या हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं है तो सचिव उनका मौखिक निवेदन अभिलिखित करेगा तथा उस पर उसका अंगूठे का चिन्ह प्राप्त करेगा और ऐसा अभिलेख उसका आवेदन समझा जायेगा।